भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 557

02 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

'अर्बन चैलेंज फंड' का विस्तार

†*557. श्रीमती भारती पारधीः

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के शहरों के सामने आ रही बढ़ती ऋणग्रस्तता की समस्या और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए 'अर्बन चैलेंज फंड' स्थापित करने या उसका विस्तार करने पर विचार किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जोखिम पूंजी जुटाने, निजी निवेश का लाभ उठाने और नगरपालिकाओं की परियोजनाओं के वित्तपोषण को बढ़ाने में ऐसे कोष के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या शहरी स्थानीय निकायों के ऋण बोझ और संबंधित साख के मुद्दों का कोई आकलन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे वित्तपोषण उपकरणों के लिए परिकल्पित निगरानी और जोखिम-प्रबंधन ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बढ़ते वित्तीय दबावों के बीच राजकोषीय रूप से संधारणीय, नागरिक-केंद्रित शहरी विकास और बुनियादी ढांचे की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अर्बन चैलेंज फंड" का विस्तार के संबंध में दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तर के दिए जाने हेतु लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *557 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): भारत सरकार ने 13 फरवरी, 2026 को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के यूएलबी सहित देश में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) को अनुमोदन दे दिया है। यह कोष तीन घटकों–' विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता'–के अंतर्गत परिवर्तनकारी और प्रभावशाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और सुदृढ़ीकरण में सहायता प्रदान करता है। यूसीएफ उन परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषित करता है, जो बैंक से ऋण प्राप्त करने योग्य हों; इसके लिए यह शर्त है कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा बॉन्ड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। यूसीएफ के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ): यूसीएफ के तहत, छोटे यूएलबी की साख योग्यता में सुधार करने और बाजार वित्त उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी यूएलबी और अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे यूएलबी (<1,00,000 आबादी) के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी योजना को अनुमोदन दिया गया है। इस योजना के तहत, यूसीएफ परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के अलावा, केंद्र सरकार पहली बार ऋण के लिए 7 करोड़ रु. या ऋण राशि का 70 प्रतिशत (जो भी कम हो) और यूएलबी द्वारा लिए गए बाद के ऋणों के लिए 7 करोड़ रु. या ऋण राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) की गारंटी प्रदान करेगी।

यूसीएफ एक वित्तपोषण दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें परियोजना लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नगरपालिका बांड, बैंक ऋण और पीपीपी जैसे बाजार-आधारित साधनों के माध्यम से जुटाया जाता है। ये प्रावधान जवाबदेही और कुशल परियोजना संरचना को बढ़ावा देते हैं, जिससे परियोजना चयन और कार्यान्वयन में वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन को शामिल किया जा सके। यह जल और स्वच्छता, शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास और विकासोन्मुखी इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके निवेश को बेहतर सेवा प्रदायगी और शहरी दक्षता के साथ संरेखित करता है।

इससे पहले, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत, 2015 से 2018 की अवधि के दौरान 468 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का कार्य किया गया था। इनमें से 162 शहरों ने

निवेश-ग्रेड रेटिंग हासिल की, जिसमें 34 शहर शामिल हैं जिन्होंने ए- और उससे ऊपर की रेटिंग हासिल की है।

इसके अलावा, वर्ष 2017 से, 23 यूएलबी नामत: आगरा, अहमदाबाद, अमरावती, भोपाल, भावनगर, चेन्नई, कोयंबटूर, गांधीनगर, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नासिक, प्रयागराज, पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे, राजकोट, सूरत, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, वडोदरा, वाराणसी और विशाखापत्तनम द्वारा नगरपालिका बांड के माध्यम से 6,540.44 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। बॉन्ड जारी करने के लिए इन यूएलबी को प्रोत्साहन के रूप में अमृत के तहत कुल 377.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
